कार्यालय नगर निगम, अजमेर

–:: पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राज.) ::–

क्रमांक : आर.ओ.(ओ.आर.)/1511 दिनांक 08/02/2017

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 (01.04.2018) से 31 मई 2023 तक की अवधि के लिये नगर निगम अजमेर की सीमा में 16'X8' फुट के 25 यूनिपोल लगाने की निविदा आमंत्रित की जाती है।

अतः इच्छुक फर्म अपनी दरें निम्न अंकित दिनांक तक बन्द लिफाफे में नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है स्थान की सूची एवं शर्तो की जानकारी निगम की अन्यकर शाखा में कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है अथवा नगर निगम वेबसाइट www.Ajmermc.org से प्राप्त कर सकते है।

क्र.स	नाम	सरकारी बोली	अमानत राशि	निविदा शुल्क	निविदा बेचने की दिनांक	निविदा जमा कराने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1	16'X8' फुट के 25 यूनिपोल	1,32,000/–लाख प्रति यूनिपोल	1 लाख	2000	5/3/18 मध्यान 3:00 बजें तक	8/3/18 मध्यान 3:00 बजें तक	8/3/18 मध्यान 4:00 बजें

प्रमुख शर्त :–

1. निविदा प्रपत्र का निविदा शुल्क निगम कोष में राशि 2000/– रूपये डीडी/बैकर्स चैंक/नगद जो आयुक्त नगर निगम के नाम जमा कराने के पश्चात् ही स्वीकार किये जावेगें।
2. निविदादाता को निविदा लेने से पूर्व विगत तीन वर्षो का आय व्यय का विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित कराकर देना होगा जिसमें न्यनत्म टर्न ओवर पच्चास लाख रूपये का होना चाहिए।
3. निविदादाता को 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प का शपथ पर इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार नगर निगम अथवा राजकीय सेवा में कर्मचारी/अधिकारी/पार्षद नही है।
4. निविदा प्रपत्र के साथ आधार कार्ड/पेन कार्ड की फोटों प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. NIB CODE :– ANN1718A0102
   UBN NO :– ANN1718S90B00250

(पवन मीणा)
राजस्व अधिकारी (अन्यकर)
नगर निगम, अजमेर

(गजेन्द्र सिंह रलावता)
उपायुक्त (विकास)
नगर निगम, अजमेर

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

वित्तीय वर्ष 2018–19 (01.04.2018) से मई 2023 (31 मई 2023) तक नगर निगम सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने वाले यूनिपोल (साईज 16'X8') पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु निविदा शर्तें :–

1. सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया राजस्थान लोक उपापम में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापम में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. निगम क्षेत्र में 25 स्थानो पर सार्वजनिक स्थलों पर यूनिपोल साईज 16'X8') स्थापित कर विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने हेतू निविदा वित्तीय वर्ष 2018–19 (01.04.2018) से मई 2023 (31 मई 2023) तक के लिये की जावेगी। युनीपोल के साईज 16'X8' फिट शर्तों में अंकित स्थानों के अनुसार होगी। अनुज्ञा पत्र निविदा के आधार पर निर्धारित लाईसेंस फीस पर जारी किया जावेगा। स्वीकृत साईटों की निविदा नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विज्ञप्ति कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी।
3. निविदा मे भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को निविदा मे भाग लेने से पूर्व 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) बतौर अमानत राशि के जमा कराने होगें। उच्चतम निविदादाता की अमानत राशि को सुरक्षा राशि में समायोजित की जावेगी। निम्नतम निविदादाता की अमानत राशि निविदा के पश्चात् वापिस कर दी जावेगी।
4. उच्चतम निविदादाता को 10 लाख रूपये की एफडीआर सुरक्षा राशि के रूप में अनुबंध के साथ ही देनी होगी जो अनुबंध की समयावधि में शर्तो के उल्लघंन पर निगम द्वारा आर्थिक दण्ड के रूप में निगम कोष में जमा की जा सकेगी। तथा अनुबन्ध के अनुरूप समयावधि समाप्त होने पर निगम द्वारा लौटाई जा सकेगी।
5. उच्चतम निविदादाता को निविदा स्वीकृति का पत्र जारी किये जाने की दिनांक से सात (7) दिवस की अवधि मे निगम कार्यालय मे निर्धारित अवधि मे नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पत्र के साथ निविदा मे उल्लेखित युनिपोल के वर्क प्लान प्रस्तुत करने होगे तथा निगम द्वारा जारी स्वीकृति/कार्यादेश के तीन माह की अवधि मे समस्त यूनिपोल स्थापित किये जाने होगें। यूनिपोल लगाने मे किसी प्रकार का व्यवधान/अडचन उत्पन्न होने की स्थिति मे स्वीकृत निविदादाता द्वारा लाईसेन्स प्राधिकारी को एक सप्ताह मे अवगत कराना होगा निर्धारित अवधि मे अवगत नही कराने/यूनिपोल स्थापित नही किये जाने की स्थिति मे उल्लेखित समस्त यूनिपोल की लाईसेन्स फीस जमा करानी होगी।
6. निगम द्वारा जारी स्वीकृति/कार्यादेश से तीन माह 7 दिवस की अवधि के अन्दर सभी यूनिपोल की छः माह की एक मुश्त 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करानी होगी। विलम्ब की स्थिति मे अनुबन्ध निरस्त योग्य होगा एवं ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी। विशेष परिस्थितियों मे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय उपरान्त ही 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज की दर से प्रीमियम राशि जमा हो सकेगी।
7. निविदादाता अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना कोई यूनिपोल (साईज 16'X8') नही लगायेगा। यूनिपोल (साईज 16'X8') विज्ञापन उपविधियां 2008 के अनुरूप ही लगाये जा सकेंगे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा या उसके किसी व्यक्ति जिसमें उसका अभिकर्ता भी शामिल है, द्वारा विज्ञापन उपविधियों का उल्लघंन किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जावेगा। अनुज्ञापत्र निरस्त होने की स्थिति में ऐसी साईट के पेटे जमा कराई गई समस्त राशि नगर निगम अजमेर के पक्ष में जब्त मानी जावेगी। अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाने की स्थिती में साईट से अनुज्ञापत्रधारी के विज्ञापन पट्ट बिना किसी पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा हटाये जाने का अधिकार होगा।
8. नीलाम की जाने वाली प्रत्येक साईट पर लगाये जाने वाले युनीपोल 16'X8' का आकार एक जेसा होगा जैसा कि सूची मे वर्णित है। किन्ही भी दो साईटो को एक साथ जोडा नही जायेगा।
9. युनीपोल अनुज्ञापत्र के साथ जारी किये गये साईट प्लान के अनुसार ही लगाया जावेगा। इससे विपरित रूप से लगाये गये युनीपोल को निगम द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया जा सकेगा।
10. निविदादाता द्वारा नीलामी में लिये गये प्रत्येक युनीपोल पर अपनी फर्म का नाम दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। ऐसा न करने पर यूनीपोल बिना किसी सूचना के निगम द्वारा हटाया जा सकेगा व लेबर चार्ज अनुज्ञापत्रधारी से वसूल कियाा जावेगा।
11. युनीपोल का निचला भाग जमीन की सतह से 10–15 फीट की ऊंचाई के मध्य होगा। इससे अधिक ऊंचाई निगम की पूर्व अनुमति अनुसार रखी जावेगी।
12. अनुज्ञापत्रधारी यूनिपोल (साईज 16'X8') पर कोई अश्लील या आपत्तिजनक चित्र/दृश्य सामग्री प्रदर्शित नही करेगा, तथा ऐसा पाये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी व इसकी जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की रहेगी।
13. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह विज्ञापन पट्ट युनीपोल को मजबूती से स्थापित करें ताकि किसी भी प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान व अन्य किसी भी स्थिति में युनीपोल नीचे नही गिरे। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यह भी ध्यान रखा जावेगा कि युनीपोल के विज्ञापन पट्ट का कोई भाग सडक पर नही निकले। युनीपोल की देखरेख करने का सम्पूर्ण दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का होगा। स्वीकृत साईट पर अन्य किसी के द्वारा विज्ञापन करने की जिम्मेदारी लाईसेंसधारी की होगी। युनीपोल/विज्ञापन पट्ट गिरने से अथवा किसी दुर्घटना से किसी भी प्रकार की जन हानि होने की जिम्मेदारी अनुज्ञापत्रधारी की स्वय की होगी, नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी। इसका उल्लंघन होने पर निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
14. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा किसी भी साईट पर नियोन अथवा विद्युत चलित बोर्ड नही लगाये जा सकेंगे।
15. अनुज्ञापत्रधारी अजमेर नगर निगम विज्ञापन उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करेंगे।
16. लाईसेंस की अवधि समाप्त होने पर साईट पर स्वतः नगर निगम, अजमेर का प्राधिकार माना जावेगा तथा साईट पर लगे हुये यूनिपोल (साईज 16'X8') को अन्य किसी अतिक्रमण की भांति निगम द्वारा हटाया जा सकेगा एवं जब्त किया जावेगा।
17. युनीपोल विज्ञापन पट्ट लगाने का सम्पूर्ण कार्य अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अधिकृत अधिकारी कर्मचारी की देख रेख में ही किया जावेगा तथा उसका पूर्ण व्यय अनुज्ञापत्रधारी वहन करेगा ।
18. अनुज्ञापत्रधारी अनुज्ञापत्र अधिकारी अथवा लाईसेंसिग ओथोरिटी के आदेश व निर्देशों की पालना के लिये बाध्य होगा। लाईसेंस प्राधिकारी के आदेशों की अपील नगर निगम के महापौर को की जा सकेगी। जिसका निर्णय अंतिम होगा।